भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1179

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि त्वरक निधि

1179. श्री वरुण चौधरीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि स्टार्टअप के लिए कृषि त्वरक निधि पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) उक्त निधि के लिए कितना बजट आवंटित और उपयोग किया गया है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लोगों ने पंजीकरण कराया है; और

(घ) लाभार्थियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना मात्रा में लाभ हस्तांतरित किया गया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 से शुरू होकर 3 वर्षों के लिए 300 करोड़ रुपये के कृषि त्वरक कोष को मंजूरी दी गई है। कृषि त्वरक कोष देश में कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए किफायती समाधान की क्षमता रखने वाली नवाचारी प्रौद्योगिकियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मदद करेगा। कृषि त्वरक कोष के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश परामर्श और अंतिम रूप देने की प्रक्रियाधीन हैं।

(ग) एवं (घ): प्रश्न ही नहीं उठता।

****